सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ़)

02 फरवरी 1993 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की 69 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन सहकारिता विकास निधि – सीडीएफ़ की स्थापना रु.10 करोड़ की आरंभिक निधि से की गई. इसके बाद नाबार्ड के वार्षिक लाभ इस निधि में अंशदान के माध्यम से इस निधि में वृद्धि की गई. सहकारिता विकास निधि के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- i. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और कमज़ोर ग्रामीण सहकारी बैंकों जैसी आधार स्तरीय सहकारी संस्थाओं को चयनित आधार पर संसाधनों के संग्रहण के उनके प्रयासों को सहायता प्रदान करना.
- ii. बेहतर कार्य-परिणाम और व्यवहार्यता में सुधार तथा सहकारी ऋण संस्थाओं में प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विकास.
- iii. बेहतर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस).
- iv. कार्यात्मक दक्षता में सुधार के लिए विशेष अध्ययन करना.

योजना / कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी

क. क्षमता निर्माण कार्यक्रम – सहकारी बैंक कार्मिक प्रशिक्षण वित्तीय सहायता योजना (एसओएफ़टीसीओबी)

सहकारिता विका निधि का एक बड़ा हिस्सा सहकारी बैंक कार्मिक प्रशिक्षण वित्तीय सहायता (एसओएफ़टीसीओबी) के माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए जाता है. पिछले तीन वर्षों में सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं ने 4,252 कार्यक्रमों में सहकारी संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के एक लाख से अधिक प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया. वर्ष 2022-23 के दौरान 21 राज्यों में सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं ने रु.1,561.61 लाख की अनुदान सहायता का उपयोग किया है.

ख. राज्य सहकारी बैंकों में व्यापार विविधता और उत्पाद नवप्रवर्तन कक्ष (बीडीपीआईसी)

तेज़ी से बदलते ग्रामीण परिदृश्य और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं में परिवर्तन तथा नए उभरते ऋण वितरण तंत्र के चलते, ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं को व्यापार और व्यापार परिचालनों की प्रभावशालीता के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के साथ कदम-से-कदम मिला कर चलने की आवश्यकता होती है. संभावित गतिविधियों के नए मॉडल्स के विकास और नए उत्पाद नवप्रवर्तनों के लिए उनके व्यापार संभाग में विविधता लाने की आवश्यकता है.

इस परिप्रेक्ष्य में उत्पाद नवप्रवर्तन और व्यापार विविधता को बढ़ावा देने "व्यापार विविधता और उत्पाद नवप्रवर्तन कक्ष" की स्थापना के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रयासों को प्रेरित करने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना को शुरू करने का निर्णय किया गया. राज्य सहकारी बैंकों में व्यापार विविधीकरण और उत्पाद नवप्रवर्तन कक्षों की स्थापना का उद्देश्य बाह्य और आंतरिक व्यापार पारिस्थिकी के आधार पर वर्तमान उत्पादों में नए उत्पादों के एकीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना है. वित्तीय और ग़ैर-वित्तीय उत्पादों के विकास पर बल देने के साथ – साथ पूरी संरचना - राज्य सहकारी बैंकों, ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए उत्पादों में नव-परिवर्तन लाना इस योजना का उद्देश्य है. अभी तक राज्य सहकारी बैंकों में रु.1,386 लाख की कुल अनुदान सहायता से 21 व्यापार विविधता और उत्पाद नवप्रवर्तन कक्ष स्वीकृत किए गए हैं. वर्ष 2022-23 के दौरान रु.114.99 लाख संवितरित किए गए और संचयी संवितरण रु.182.43 लाख किए गए हैं.

ग. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए व्यापक सहायता योजना

इस योजना का उद्देश्य सिक्किम सहित पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा जम्मू और कश्मीर की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक परियोजना के रूप में एक प्रथक सहायता पैकेज उपलब्ध

कराना है ताकि बेहतर ऋण वितरण के मामले में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्यनिष्पादन में सुधार आ सके और इनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इनकी सेवा के दायरे को बढ़ाया जा सके.
सहायता के दायरे में मोटे तौर पर सहकारिता विकास निधि के अधीन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को आधारभूत (निर्माण कार्य, वाहन की ख़रीद को छोड़ कर) सहायता प्रदान करना, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्मिकों का क्षमता विकास, परिचय दौरे, राज्य सहकारी बैंकों में पीएसीएस विकास कक्ष / व्यापार विकास कक्षों की स्थापना, सदस्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का बहु उद्देशीय सेवा केन्द्रों में अंतरित करने के लिए सहायता, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों-पीएसीएस को विविध सेवाएँ प्रदान करने के लिए और अतिरिक्त आमदनी जुटाने के लिसे सक्षम बनाना शामिल है.

घ. 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्युटरीकरण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना

नाबार्ड, देश में क्रियाशील 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्युटरीकरण के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना की कार्यान्वयक संस्था है. रु.2,516 करोड़ की यह परियोजना 5 वर्षों में पूरी होगी. इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए एक ईआरपी / राष्ट्र स्तरीय सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सहायता प्रदान करना जो इन समितियों के लिए राष्ट्र स्तरीय डाटा प्रस्तुत कर सके, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बहु आयामी – ऋण और ऋणेतर गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सके और उन्हें बहु उद्देशीय सेवा केन्द्रों में परिवर्तित कर सके. इस योजना को लागू किया जा रहा है और नाबार्ड ने इस केंद्रीय योजना के अधीन रु.252 करोड़ प्रतिबद्ध किए हैं.

च. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का बहु सेवा केन्द्रों (एमएससी) में अंतरण – सहकारिता विकास निधि

कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, अनुबंध खेती अधिनियम – कोंटरैक्ट फ़ार्मिंग एक्ट और कोविड – 19 के चलते विपरीत पलायन (रिवर्स माइग्रेशन) से कृषि में ग्रामीण युवा-वर्ग के लिए निवेश के अवसर की आवश्यकता बढ़ी और डिसेंट्रलाइज़्ड़ फार्म-गेट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के अधीन प्रस्तावित कृषि आधारभूत सुविधा निधि जिसमें पीएसीएस को ब्याज सुविधा प्राप्त करने के लिए एक पात्र संस्था माना गया है, पीएसीएस अब ग्रामीण कृषि बाज़ार (ग्राम्स) के प्रतिनिधि के रूप में भौतिक और वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला की प्रमुख भूमिका निभा सकेंगे. उपर्युक्त संदर्भ में वर्ष 2020-21 से तीन वर्ष की अवधि में सभी अच्छी संभावना वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से 3% पर दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर के उन्हें बहु उद्देशीय केन्द्रों में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया है. अच्छी गुणवत्ता वाली आधारभूत सुविधाओं (पूंजीगत आस्तियों) के निर्माण और सदस्यों की आवश्यकता के अनुरूप उनके व्यापार संभाग को बढ़ाने के लिए राज्य सहकारी बैंकों ने 3055 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को चिह्नित किया है. नाबार्ड द्वारा ऋण सहायता की स्वीकृति के बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियां सहकारिता विकास निधि से अनुषंगी उपायों के लिए अधिकतम रु.2.00 लाख प्रति पीएसीएस की शर्त के अधीन ऋण राशि का अधिकतम 10% की अनुदान सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं.

छ. ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को प्रकाशन हेतु अनुदान सहायता विस्तार योजना:

नए दृष्टिकोणों, नए उत्पाद, नई वितरण प्रणालियों, नए विनियमनों के संदर्भ में ग्रामीण बैंकिंग परिदृश्य बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों को अपने व्यापार और संधारणीयता के लिए इस संबंध में हो रही प्रगति की जानकारी होनी आवश्यक है. प्रकाशन जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा माध्यम है और जागरूकता बढ़ाने और विशेष कर स्थानीय स्तर पर अनुभव साझा करने का एक साधन है. इस दिशा में इन संस्थाओं की कोशिशें छुट-पुट ही रहीं. हमारे अनुभव से ये संस्थाएं न्यूज़लेटर्स, प्रासंगिक स्मारिकाएँ, मैन्युअल आदि प्रकाशित करती हैं जोकि सहकारी संस्थाओं के स्टाफ़ को अपना ज्ञान बढ़ाने में सहायता करती हैं. इसे देखते हुए नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों / ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों / प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों

को निम्नलिखित प्रकाशनों के लिए सहकारिता विकास निधि से रु.1.00 लाख तक की सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है.

- i. आवधिक न्यूज़लेटर्स.
- ii. विषय विशिष्ट मैन्युअल.
- iii. सफलता गाथाएँ / उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रकाशन.
- iv. ऑनलाइन न्यूज़लेटर्स.
- v. सांख्यिकी प्रकाशन

सहकारी प्रकाशनों में निम्नलिखित विषयों को भी शामिल किया जा सकता है.

- i. ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं का कार्यनिष्पादन.
- ii. नाबार्ड / भारतीय रिज़र्व बैंक / राज्य सरकारों के नए दिशानिर्देश / विनियामक निर्देश.
- iii. प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों सहित बैंकिंग उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति.
- iv. ग्रामीण ऋण की सफलता गाथाएँ / परियोजनाएं / उत्कृष्ट प्रथाएँ.
- v. इकाई लागत / वित्तमान, योजना के दिशानिर्देश आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी.

प्राथमिक कृषि ऋण समिति-पैक्स विकास कक्ष (पीएसीएस)

क्षमता विकास, हैंड होल्डिंग, आय अर्जन के लिए नए मॉडल्स / अवसरों का विकास, मार्गदर्शन, परिचय दौरे और आधार स्तरीय इन संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों को प्रभावी वित्तीय और ग़ैर-वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंकों में पीएसीएस विकास विकास कक्षों की स्थापना की जाती है. वर्तमान में 94 ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों / सहकारी बैंकों में स्थापित पीडीसी कक्षों ने 20 राज्यों में कार्यरत 2,556 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सहायता प्रदान की है. वर्ष 2022-23 के दौरान 4 राज्यों में क्रियाशील पीडीसी के लिए रु.6.66 लाख की राशि संवितरित की गई है.